न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 40/2016 फोरलेन

उनवान

1.श्री भैरूलाल पिता कालू चमार निवासी सांगानेर तहसील भीलवाड़ा 2.श्रीमती लाडू पत्नि काना चमार निवासी सांगानेर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा —–प्रार्थीगण	**बनाम**	1.श्रीमान सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा 2.परियोजना निदेशक (एन.एच.ए.आई.) 6–ए–1,आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा —–विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 जी (5)नेशलन हाईवे एक्ट 1956 विरूद्ध अवार्ड संख्या एन.एच. 758 प्रतिकर निर्धारण/93/2014 (भीलवाड़ा से लाडपुरा सेक्शन) दिनांक 07.10.2014

उपस्थितः– **श्री श्याम लाल आगाल, अधि0 प्रार्थीगण की ओर से**
श्री गणेशलाल जोशी, अधि0 विपक्षी संख्या 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 19/12/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 जी(5) नेशलन हाईवे एक्ट 1956 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (सक्षम अधिकारी) प्रकरण संख्या 93/2014 निर्णय दिनांक 07.10.2014 द्वारा दिलाये गये क्षतिपूर्ति की राशि में बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य सभी परिलाभ जो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिलाये जाने बाबत् दिनांक 03.10.2016 को निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ग्राम सांगानेर तहसील भीलवाड़ा की खसरा संख्या 2766 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी सं0 2 का 1/2 हिस्सा है। भूमि को अवाप्त किये जाने की कार्यवाही केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा 01 के अधीन एक अधिसूचना दिनांक 20.12.2013 को जारी किये जाना बताकर अधिनियम की धारा 03 डी(1) के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2014 के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दिनांक 22.01.2014 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाया गया। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का भारतीय राष्ट्रमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा से लाडपुरा खण्ड के लिये अवाप्त किया गया। इस बाबत प्रार्थीगण को कभी व्यक्तिगत तौर पर सूचना पत्र तामील नहीं करवाया गया। इस कारण प्रार्थीगण सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने से महरूम रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा भूमि को अधिनियम की धारा 3–जी(1–2) के तहत अवार्ड संख्या 93/2014 दिनांक 07.10.2014 को जारी कर अवाप्त की गई भूमि आ0नं0 2766 रकबा 0.2830 हैक्टर का प्रतिकर 1,87,884/– रूपये तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 18,788/– रूपये कुल 2,06,672/– रूपये निर्धारित किया गया। सक्षम अधिकारी के द्वारा दिनांक 20.12.2013 को जो डी.एल.सी. दरें थी उसके अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है जबकि अधिनियम की धारा 03(ए) की उपधारा 01 के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से किये जाने की व्यवस्था है जो डी.एल.सी. दर से कई गुणा अधिक है। तत्समय बाजार मूल्य न्यूनतम 15,00,000/– रूपये प्रतिबीघा थी इस स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही एवं प्रार्थीगण की भूमि नगर परिषद भीलवाड़ा के क्षेत्र में स्थित होकर अच्छी व औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखे

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बिना जारी अवार्ड निरस्त योग्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान भूमि को अवाप्त किये जाने के लिये मुआवजा निर्धारण के लिये लागू ही नहीं रहे थे। तत्समय " भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हो चुके थे एवं समस्त अवाप्ति प्रकरणों के मुआवजा निर्धारण बाबत इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड जारी किया जाना चाहिये था। इस अधिनियम 2013 के तहत तत्समय के बाजार मूल्य से चार गुणा दर अर्थात 60,00,000/– रूपये प्रतिबीघा की दर से मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी महोदय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य सभी परिलाभ जो अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है उसी अनुपात में अवार्ड जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.10.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से क्षतिपूर्ति राशि हेतु पारित अवार्ड संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता का अधिकार पत्र प्रस्तुत होकर जवाब का अवसर चाहा गया।

विपक्षी सं० 2 की ओर से दिनांक 06.12.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि प्रार्थीगण की ग्राम सांगानेर में आ०नं० 2766 संयुक्त खातेदारी की थी जिसे केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अवाप्त किए जाने से भूमि उक्त सभी खातेदारी अधिकारों में मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहीत हुई। वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 के तथ्य गलत होकर स्वीकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा 01 के अधीन दिनांक 08.01.2013 को विधिवत रूप से अधिसूचना गजट में जारी की जिसका प्रकाशन दिनांक 17.01.2014 को राजस्थान पत्रिका एवं दिनांक 22.01.2014 को दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में कराया गया तथा सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(डी)(1) के अन्तर्गत सभी से आपत्तियां मांगी गई। तहसीलदार भीलवाड़ा एवं हल्का पटवारी के द्वारा बैठकें आयोजित कर सभी सम्बन्धित ग्रामों में सार्वजनिक प्रचार–प्रसार जिसमें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। उक्त अधिनियम में व्यक्तिगत तौर पर सूचना/नोटिस भेजकर सुनवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 3(सी) में आपत्तियां आमंत्रित बाबत निम्न प्रावधान है–

"**3सी** Hearing of objections-(i)Any person interested in the landmay,within tewnty one days from the date of publication of the notification under sub-section(1) of section 3A,object to the use of the land for the purpose or purposes mentioned in that sub-section.

(ii)Every objection under sub-section(1)shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard,either in person or by a legal practitioner, and may,after hearing all such objection and after making such further enquiry if any,as the competent authority thinks,necessary,by order, either allow or disallow the objections."

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 08.01.2013 की डीएलसी दर से मुआवजा निर्धारित किया है वह सही है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(ए) (1) के तहत बाजार दर से मुआवजा देने की व्यवस्था है। बाजार दर के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 में वर्णित मानदण्डों की कोई अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी का यह कथन कि अवाप्तशुदा भूमि नगरपरिषद भीलवाड़ा की सीमा में अच्छी व औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग की भूमि है सरासर गलत है। तहसीलदार भीलवाड़ा से अवाप्ताधीन भूमि से सम्बन्धित रेकार्ड व मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही अवार्ड पारित किया है जो उचित व विधि अनुसार है। वादपत्र की चरण संख्या 6 से लगायत 8 स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार नहीं है जवाबदाता का जवाब पत्रावली पर लिया जाकर प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)भीलवाड़ा के द्वारा गलत तौर पर प्रतिकर निर्धारित किया है अधिनियम 2013 की धारा 3(ए)(I) के तहत अवाप्त भूमि का मुआवजा मार्केट(बाजार) दर से निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है लेकिन सक्षम अधिकारी ने डीएलसी दर को बाजार दर मानकर मुआवजा निर्धारित कर भारी भूल फरमाई है डीएलसी दर बाजार दर नहीं हो सकती है । डीएलसी दर मात्र दस्तावेज पंजीयन करने व स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करने का आधार है जो उक्त प्रयोजनार्थ न्यूनतम दर निर्धारित की जाती है यह दर बाजार मूल्य नहीं हो सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार डीएलसी दर बाजार मूल्य नहीं है। इसी क्षेत्र नजदीकी गांव तस्वारिया की दिनांक 16.01.2013 को विक्रय विलेख श्री नन्दा पिता भैरू जाट ने श्रीमती मांगी जाट निवासी खेड़लिया के हक में 3,60,000/– रूपये प्रतिबीघा की दर से करवायी थी। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा तय प्रतिकर दर कतई बाजार मूल्य नहीं है विक्रयपत्र की प्रति पेश है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिकर का निर्धारण भूमि का बाजार मूल्य उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपबंधित दर से अवधारणा नहीं किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा डीएलसी दर एक वर्ष पूर्व की आधार मान कर प्रतिकर निर्धारित किया जो निरस्त योग्य है। भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना को उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हो चुके हैं इसलिए प्रकरण में मुआवजा निर्धारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना न्यायोचित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। इसके सम्बन्ध में एआइआर 2011 माननीय सुप्रीम कोर्ट पेज–2937 व 228 के उद्धरण पेश है। अतः प्रार्थना स्वीकार फरमा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड निरस्त फरमा प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित करा अवार्ड जारी फरमावें। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू किया जाना सही है। शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में जवाब में विवेचन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 07.10.2014 को पारित किया जा चुका था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी परन्तु वे भुगतान प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होने से सूचना पत्र जारी किया । अतःप्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बिन्दुओं तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य सुस्पष्ट होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा से लाडपुरा निर्माण के लिए अवाप्ताधीन भूमियों के सम्बन्ध में धारा 3ए (1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 08.01.2013 को जिसका दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15.02.2013 को प्रकाशन करवाया गया व धारा 3डी(1) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20.12.2013 को होकर राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.01.2014 एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 22.01.2014 को व भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर अवाप्ति की कार्यवाही की गई। उक्त अधिनियम में व्यक्तिगत सुनवाई के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) भीलवाड़ा के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में समस्त सहखातेदारों के नाम पर एक सूचना पत्र क्रमांक एन.एच.–758/3जी(1)( )/93/2014 दिनांक 18.12.2014 को जारी किया जो सहखातेदार काना की पुत्रवधु चांदीबाई को तामील हुआ । उक्त नोटिस के द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित दस्तोवजों एवं फोटो की प्रतियां दिनांक 20.01.2015 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को मुआवजा निर्धारण सम्बन्धी तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी होते हुए भी किसी प्रकार की सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यहां तक कि भुगतान हेतु सूचना पत्र दिनांक 18.12.2014 को जारी कर दिनांक 20.01.2015 को उपस्थित होने के लिए लिखा इसके बावजूद प्रार्थीगण के द्वारा भुगतान हेतु पत्रादि मार्च 2016 में प्रस्तुत किए इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने हित के प्रति सजग नहीं होकर जानबूझ कर रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 का फायदा प्राप्त करने के कारण से ही प्रकरण में विलम्ब किया। जबकि धारा 3–ए एवं 3–डी के तहत जारी अधिसूचना दिनांक से 21 दिन की अवधि में आपत्ति प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण का कथन कि हमें सुना नहीं गया जो पूर्णतया निराधार होकर असत्य है। प्रार्थीगण के पक्ष में अवार्ड संख्या न्याया0/फोरलेन/93/2014 दिनांक 07.10.2014 को जारी किया गया था।

प्रार्थीगण का द्वितीय कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि का मुआवजा/प्रतिकर का भुगतान दिनांक 08.01.2013 की प्रचलित डीएलसी के आधार पर किया गया जो गलत है क्योंकि तत्समय भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(2013 का अधिनियम संख्याक 30) को दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील किया गया है। जिसकी धारा 30(1)(2) एवं (3) तथा धारा 26 के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया जाना आवश्यक थां। तत्समय भूमि की बाजार दर 20,00,000/–रूपये प्रति बीघा थी। अवाप्ताधीन भूमि नगरपरिषद सीमा के समीप होकर अच्छी व औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग की होने के बावजूद उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही अवार्ड जारी किया जो खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण/परिवादी के द्वारा भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30(1)(2) एवं (3) तथा धारा 26के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण कराने का अनुतोष चाहा गया है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/परिवादीगण के द्वारा अवाप्ताधीन भूमियों के सम्बन्ध में भूमि के औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग की होने के सम्बन्ध में कोई संपरिवर्तन आदेश की प्रति एवं बाजार मूल्य के सम्बन्ध में इसी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किस्म एवं ग्राम की अन्य भूमियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है। जो विक्रय विलेख प्रस्तुत किया वह ग्राम तस्वारिया का है जबकि अवाप्ताधीन भूमि ग्राम सांगानेर की है। प्रार्थीगण के द्वारा जो विक्रय विलेख प्रस्तुत किया वह दिनांक 13 जनवरी,2013 का है जबकि अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 को जारी हो चुकी थी इस प्रकार यह विलेख यहां पर लागू नहीं होता है। धारा 26 में बाजार मूल्य के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से पूर्व के तीन वर्षों में हुए विक्रय कीमतों की औसत को आधार माना गया है । जबकि प्रार्थीगण श्रीमती मांगी जाट के विक्रय विलेख अनुसार प्रतिकर का भुगतान चाहा जो देय नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त तथ्य निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम सांगानेर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में आ0नं0 2766 रकबा 3–01 बीघा किस्म बंजड़ आ0नं0 91 के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें काना पिता नाथू व भैरू पिता कालू चमार सा0 देह म. देह खातेदार दर्ज है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अवाप्ताधीन भूमि कृषि भूमि थी न कि अकृषि योग्य भूमि। ग्राम सांगानेर की अवाप्ताधीन आ0नं0 2766 में से 0.2830 हैक्टर के सम्पूर्ण मुआवजा की कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 धारा 3ए (1) एवं धारा 3डी(1) व धारा 26(ख) के प्रावधानों के तहत ही प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। जहां तक भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सांगानेर की आराजी नम्बर 2766 रकबा 3–01 बीघा में से 0.2830 हैक्टर भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा से लाडपुरा निर्माण के लिए अवाप्त करते हुए सक्षम अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) भीलवाड़ा के द्वारा 3ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 को जारी होने से इस दिवस को विधि मान्य अनुमोदित एवं पंजीयन बाजार दर से प्रतिकर की गणना की जाकर पत्रांक न्याया./फोरलेन/93/2014/प्रतिकर निर्धा./दिनांक 07.10.2014 को 2,06,672/– रूपये की राशि का अवार्ड जारी किया भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(2013 का अधिनियम संख्याक 30) के नवीन नियमों के तहत प्रतिकर में संशोधन का बिन्दु है । इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम 1 जनवरी, 2014को प्रभावी हो चुका था परन्तु उक्त अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर लागू नहीं किया गया था लेकिन अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूची के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अलावा अन्य 13 एक्टों को रखा गया एवं अधिनियम 2013 की धारा 105(3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2014 से उक्त अधिनियम में संशोधन कर मुआवजा निर्धारण करने के लिये दिनांक 1 जनवरी, 2015 से लागू कर दिया।

प्रश्नगत प्रकरण में अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड दिनांक 07.10.2014 को जारी किया। इस बिन्दु पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अन्तिम विनिश्चय किया जाना है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(3)राज–6/2011/7 जयपुर दिनांक 11.03.2014 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अधिनियम 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत 31.12.2014 से पूर्व अवार्ड जारी हो चुका तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में उक्त अधिनियम में

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 31.12.2014 से संशोधन किए जाने से उक्त दिनांक से पूर्व अवार्ड जारी किया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नवीन अधिनियम 2013 के तहत नहीं होगी परन्तु अधिनियम 2013 के प्रभावी होने अर्थात 01.01.2015 के पश्चात यदि अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी किए गए है तो ऐसे प्रकरणों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अवार्ड संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। अवार्ड के प्रतिकर की गणना के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(3)राज–6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016के अनुसार गणना हेतु स्थिति स्पष्ट की गई है। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के द्वारा अवार्ड संख्या 93/2014 दिनांक 07.10.2014 को जारी किया है जो संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रभावी दिनांक 01.01.2015 के पूर्व जारी होना सिद्ध होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहे हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण/परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश भूमि अवाप्ति/प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी) भीलवाड़ा बमामले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाडा–लाडपुरा सेक्शन) प्रकरण संख्या 93/2014 प्रतिकर अवार्ड निर्णय दिनांक 07/10/2014 को यथावत रखते हुए अस्वीकार किया जाता है। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा